बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

दिनांक–23.09.2016 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में अल्प वर्षापात की स्थिति से निपटने हेतु आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थिति :–

1. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग
2. प्रधान सचिव, कृषि विभाग
3. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग
4. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
5. प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग
6. प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग
7. प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
8. अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
9. अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
10. अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग
11. निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
12. निदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग

1. <u>भारतीय मौसम विज्ञान विभाग</u> :– निदेशक भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान में मॉनसून की वापसी प्रारम्भ हो गई है। विगत वर्षो के तुलना में इस वर्ष वर्षापात की स्थिति अच्छी है। राज्य में वर्षापात की कमी मात्र 10 प्रतिशत है, जबकि 40 प्रतिशत या इससे अधिक वर्षापात की कमी वाले जिले मात्र 4 जिले यथा– गोपालगंज, खगड़िया, सहरसा एवं शिवहर हैं। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि वर्षापात की आंकड़ों का विश्लेषण विगत 50 सालों के वर्षापात के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है।

मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में जलवायु परिवर्त्तन एवं फसल पद्धति में बदलाव के मद्देनजर विगत 30 वर्षो के वर्षापात के आकड़ों के आधार पर विश्लेषण करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है क्योंकि राज्य को विगत वर्षो में कुल 1000एम.एम. वर्षापात काफी कम वर्षो में प्राप्त हुई है। अतएव, वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में विगत 20 वर्षो या उससे कम के वर्षापात के आंकड़ों पर ही विश्लेषण करना सही प्रतीत होता है। इस हेतु उनके द्वारा निदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को उच्च स्तर पर निर्णय लेने का परामर्श दिया गया।

2. **अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय** :– निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के द्वारा बताया गया कि प्रखण्डों का वर्षापात के आंकड़े उन्हें लगातार प्राप्त हो रहे हैं तथा उनके द्वारा यह आंकड़े कृषि विभाग को उपलब्ध कराया जाता है। प्रखण्डों में वर्षापात के आंकड़े पुराने विधि से प्राप्त किए जाते हैं। उत्पादकता का आंकड़ा उन्हें कृषि विभाग द्वारा कटनी प्रयोग के आधार पर प्राप्त होते हैं।

मुख्य सचिव, बिहार द्वारा कटनी प्रयोग के आंकड़े का नमुना सत्यापन के आधार पर पूर्व की भांति करने का निदेश कृषि विभाग को दिया गया, जिससे उत्पादकता को प्रमाणित किया जा सके।

3. **लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग** :– प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा बताया गया कि मात्र नालन्दा जिला में जुलाई 2014 की तुलना में जुलाई 2016 में 0–1 फीट औसत भू–जलस्तर में गिराबट आयी है तथा शेष जिलो में औसत भू–जलस्तर में गिराबट नहीं पायी गई है।

मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा लघु जल संसाधन विभाग को रैण्डम नमूना के आधार पर पटना के 10 किलोमीटर परिधि में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के 100 चापाकलों से भू–गर्भ जलस्तर का सत्यापन कराने का निदेश दिया गया। इसी प्रकार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को पटना के आसपास रैण्डम नमूना के आधार पर लघु जल संसाधन विभाग के 20 कुओं के भू–जलस्तर का सत्यापन करने का निदेश दिया गया।

4. **लघु जल संसाधन विभाग** :– प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 10242 नलकूपों में से चालू नलकूपों की संख्या 4516 है। दिनांक 19.09.2016 तक विभिन्न दोषों से बंद पड़े नलकूपों की कुल संख्या 5726 है, जिसमें यांत्रिक दोष से बंद पड़े नलकूपों की संख्या–339, विद्युत दोष से बंद पड़े नलकूपों की संख्या–596, संयुक्त दोष से बंद पड़े नलकूपों की संख्या–2447 एवं अन्य दोष से बंद पड़े नलकूपों की संख्या–2344 है।

मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा यथा संभव विभिन्न दोषों से बंद पड़े नलकूपों को ठीक कर चालू करने का निदेश दिया गया।

5. **जल संसाधन विभाग** :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा बताया गया कि राज्य के वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओ से कुल 1972968 हे0 सिंचाई लक्ष्य के विरूद्ध कुल 1896429 हे0 (96.16 प्रतिशत) क्षेत्र में सिंचाई उपलब्धि प्राप्त की गई है तथा राज्य के जलाशय/वीयर योजनाओं से पानी की उपलब्धता एवं किसानों द्वारा पानी की मांग के अनुसार नहरों में जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है। उनके द्वारा यह बताया गया कि वर्त्तमान में कोसी नदी बराज से लगभग 3.00 लाख क्यूसेक जलश्राव प्रवाहित हो रहा है, जो विगत वर्षों में उस समय की तुलना में अधिक है।

मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा वर्त्तमान में बाढ़ के मद्देनजर तटबंधों पर नजर रखने का निदेश दिया गया तथा किसानों को सिंचाई हेतु नहरो के माध्यम से अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का निदेश दिया गया।

6. **कृषि विभाग** :– प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान में धान का आच्छादन 96.92 प्रतिशत तथा मक्का का आच्छादन 91. 02 प्रतिशत हो चुका है। सभी प्रखण्डों में धान एवं मक्के को मिलाकर आच्छादन का प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक है। मात्र बेगूसराय जिले के बलिया प्रखण्ड में धान का आच्छादन 46 प्रतिशत है, जबकि मक्के का आच्छादन 100.8 प्रतिशत है एवं दोनो फसलों को मिलाकर आच्छादन का प्रतिशत 73.4 है, परन्तु वर्षापात में कमी मात्र 27. 4 प्रतिशत है। इसका मुख्य कारण इस इलाके में मक्का मुख्य फसल के रूप में लगया जाना है। उनके द्वारा यह भी बताय गया कि अबतक कुल 193448 किसानों के बीच ₹ 1648.81086 लाख रूपये डीजल सब्सिडी के रूप में वितररित किए जा चुके हैं।

मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा निदेश दिया गया कि जिन जिलो/प्रखण्डों में वर्षापात की कमी 40 प्रतिशत या उससे अधिक है उन जिलो/प्रखण्डों में डीजल सब्सिडी वितरण की समीक्षा कर ली जाए।

7. **आपदा प्रबंधन विभाग** :– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान में दिनांक 22.09.2016 तक 40 प्रतिशत अथवा 40 प्रतिशत से भी वर्षापात में कमी वाले प्रखण्डों की संख्या घटकर 106 हो गई है। पूर्व में दिनांक 24. 08.2016 ऐसे प्रखण्डों की संख्या 166 थी, जो दिनांक 22.09.2016 को घटकर 97 हो गई है तथा कुल 9 प्रखण्ड यथा भभुआ जिला के नौआंव, पूर्वी चम्पारण के फनहारा, गोपालंगज के हथुआं, रोहतास के नौहट्टा, सहरसा के बनमा ईटहरी तथा सिवान जिला के भगवानपुर, गुठनी, हुसैनगंज एवं लकड़ीनवीगंज प्रखण्ड 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक वर्षापात में कमी वाले प्रखण्डों में शामिल हो गए है एवं ऐसे प्रखण्डों की कुल संख्या 106 हो गई है।

मुख्य सचिव, बिहार द्वारा वर्षापात 40 प्रतिशत या उससे अधिक कमी वाले 106 प्रखण्डों की वर्त्तमान स्थिति का प्रतिवेदन संबंधित जिला पदाधिकारी से प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

ह0/–
(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव,
बिहार

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–07/2014 (खण्ड–II)...../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/ लघु जल संसाधन विभाग/ ऊर्जा विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/ कृषि विभाग/ स्वास्थ्य

विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग / अध्यक्ष, बिहार राज्य पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड/निदेशक, कृषि विभाग/निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय/ निदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिरूद्ध कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–07/2014 (खण्ड–II)...3619/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–29/9/16

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/ विकास आयुक्त बिहार के प्रधान आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव /प्रधान सचिव के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग/आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

29/9/16
संयुक्त सचिव